



केंद्रीय कर आयुक्त का कार्यालय  
**OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL TAX**  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर वडोदरा - १ आयुक्तालय  
**GST VADODARA-I COMMISSIONERATE**  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर भवन, रेसकोर्स सर्कल, वडोदरा - ३९०००७  
**GST BHAVAN, RACE COURSE, VADODARA- 390007**


**TRADE NOTICE No. 10/2018**

Attention of all the Trade is invited to the following Circulars/Orders/Notifications issued by the Central Board of Excise and Customs, New Delhi for information and necessary action:

Sr.No.	Order/Circular/Notification No.	Date	Gist
1	Circular No. 68/42/2018-GST	05.10.2018	Notification issued under CGST Act, 2017 applicable to Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017

2. All the above Circulars can be downloaded from i.e. <http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/gst/cgst-circ-idx-2017>.

3. All the Trade Association, Chambers of Commerce and Industry, members of RAC of this formation are requested to circulate and publicize the contents of this Trade Notice amongst their member constituents. Difficulties, if any, faced in this regard may be brought to the notice of this office.

  
(Mallika Mahajan Sinha)  
Commissioner,  
Central GST & Central Excise,  
GST Vadodara-I Commissionerate

F.No. IV/16-173/TradeNot.Cir/Tech/2015-16-Pt.- II.

Vadodara, Date: .10.2018

To,

1. As per mailing list.
2. Notice Board.
3. All the Section of the HQ, CGST Vadodara-I Commissionerate.
4. The Deputy Commissioner/Assistant Commissioner, Central Goods & Service Tax Commissionerate, Division- I to XII, CGST Vadodara-I Commissionerate to be informed to field formations suitable.
5. The Superintendent (Computer Cell), CGST & Central Excise, HQ, CGST Vadodara-I Commissionerate for the purpose of posting it on website.



केंद्रीय कर आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL TAX  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर वड़ोदरा - १ आयुक्तालय  
GST VADODARA-I COMMISSIONERATE  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर भवन, रेसकोर्स सर्कल वड़ोदरा - ३९०००७  
GST BHAVAN, RACE COURSE, VADODARA- 390007

व्यापार सूचना संख्या 10/2018-19

सभी व्यापार संघ/व्यवसायियों, व्यवसाय एवं उद्योग मंडलों, आरएसी के सभी सदस्य तथा सम्बन्धित व्यक्तियों का ध्यान केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और सीमा शुल्क, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गए निम्नलिखित परिपत्रों/आदेशों/अधिसूचनाओं की जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है:-

क्र. सं.	आदेश/परिपत्र सं./अधिसूचना	दिनांक	सारांश
1	परिपत्र सं. 68/42/2018-जी.एस.टी.	05.10.2018	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत जारी अधिसूचनाएं वस्तु और सेवा कर (राज्यों के मुआवजे) अधिनियम, 2017 के लागू होने के सन्दर्भ में।

2. उपर्युक्त सभी परिपत्र <http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/gst/cgst-circ-idx-2017> से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

3. सभी ट्रेड एसोसिएशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आरएसी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वह इस व्यापार सूचना में दी गई जानकारी को अपने सभी सदस्यों के बीच परिचालित तथा प्रचारित करें। यदि इस संबंध में किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप उसे इस कार्यालय के ध्यान में ला सकते हैं।

*महलिका* 29.X.2018  
(मल्लिका महाजन सिन्हा)

आयुक्त,  
केंद्रीय जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,  
वड़ोदरा-I आयुक्तालय

फा.सं. IV/16-173/TradeNot.Cir/Tech/2015-16-Pt II

वड़ोदरा, दिनांक: 10.2018

सेवा में,

1. मेलिंग लिस्ट के अनुसार।
2. नोटिस बोर्ड।
3. सभी विभाग, केंद्रीय कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वड़ोदरा-I, वस्तु एवं सेवा कर कार्यालय।
4. उप/सह आयुक्त, केंद्रीय कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल। से XII, वड़ोदरा-I
5. अधीक्षक (कंप्यूटर सेल), केंद्रीय कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वड़ोदरा-I (वेबसाइट पर अपलोड करने के उद्देश्य से)